



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 01, मंगलवार, शाके 1945-फरवरी 20, 2024
Phalguna 01 Tuesday, Saka 1945- February 20, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-1) विभाग

राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

प्लॉट नं.-63, एफ.सी.आई गोदाम के पीछे, इंदिरा कॉलोनी, नागौर-341001 राजस्थान

वेबसाइट : www.rsmml.com ई-मेल: info.rsmmlirajasthan.gov.in

{अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 4(1)}

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 08, 2024

संख्या प.10(1)खान/ग्रुप-1/2023 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक : F.1(3) Rev.6/2011/Pt./02, दिनांक-12.01.2016 के क्रम में राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड की भदवासी जिप्सम माइन्स परियोजना बाबत् नागौर जिले की तहसील नागौर के ग्राम-भदवासी, ढाकोरिया, गठिलासर, मकौड़ी, पिलनवासी व बालासर में 274 खसरो की कुल 463.17 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि में जिप्सम खनन विकसित किये जाने के प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि अर्जन किया जावेगा -

क्र.सं	जिला	तहसील	गांव	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1.	नागौर	नागौर	भदवासी	135.072
2.	नागौर	नागौर	ढाकोरिया	1.7460
3.	नागौर	नागौर	गठिलासर	122.7268
4.	नागौर	नागौर	मकौड़ी	106.868
5.	नागौर	नागौर	पिलनवासी	89.9049
6.	नागौर	नागौर	बालासर	7.6335

- उक्त परियोजना हेतु चयनित सामाजिक समाधात निर्धारण अधिकरण द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 तथा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित भू अर्जन से प्रभावित गांवों में

सामाजिक समाघात निर्धारण किया जावेगा। यह भी निर्धारण किया जायेगा कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूर्ण होता है और इसका निर्धारण करने के लिए कितने कुटुम्बों तथा अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट भूमि, मकानों, बन्दोबस्तों के विस्थापन से प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्धारण किया जावेगा कि जो भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित की गयी है, वह परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक ही है व परियोजना हेतु कोई अन्य आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन हेतु विचार किया गया है जिसे साध्य नहीं पाया गया है तथा परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च व इन खर्चों का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात का भी अध्ययन किया जावेगा।

2. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा समुचित, पर्याप्त एवं आवश्यक परामर्श प्राप्त किया जावेगा।
3. सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा क्षेत्र का समुचित सर्वेक्षण किया जावेगा तथा अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू अर्जन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण, प्रभावित क्षेत्रों में जनसुनवाई का अनुसरण करते हुए जनसुनवाई के लिए तारीख, समय व स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करके, प्रभावित कुटुम्बों के विचारों का, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अभिनिश्चित करने के लिए धारा 4 के प्रयोजन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या संबंधित वार्ड स्तर पर नगरपालिका के साथ परामर्श से आयोजित की जावेगी।
5. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त सार्वजनिक जनसुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकोर्ड किया जावेगा। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सुझावों/आपत्तियों सहित समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण के दौरान यदि ग्राम सभा या नगरपालिका या यथा स्थिति, नगर निगम और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो ऐसी सहमति प्राप्त की जावेगी।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रभावित कुटुम्बों के अभिलिखित विचारों के साथ राज्य सरकार को निर्देश-निबंधन में विनिर्दिष्ट अवधि या राज्य सरकार द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर राज्य सरकार को प्रारूप-3 में प्रस्तुत की जावेगी, जो किसी भी स्थिति में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना की तारीख से 06 माह से अधिक नहीं होगी।
8. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान प्रपीड़न या धमकी का कोई प्रयास कार्यवाही को अकृत और शून्य बना देगा।
9. सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी समस्त क्रियाकलाप किये जावेंगे। उक्त विनिर्दिष्ट परियोजना हेतु अपेक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण दल समुचित आकार व प्रोफाइल का होगा। प्रत्येक मद अथवा क्रियाकलाप की स्पष्ट अलग-अलग लागत के साथ निर्देश निबंधन के आधार पर परियोजना-विनिर्दिष्ट-बजट तैयार किया जावेगा, जिसकी जानकारी निर्देश निबंधन में सम्मिलित होगी। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया में सुस्पष्ट-परिनिश्चित परिणाम के लिए गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल को निधि का संवितरण करने की समय सारणी की जानकारी

भी निर्देश निबंधन में सम्मिलित की जावेगी। उक्त विनिर्दिष्ट परियोजना के निर्देश निबंधन व बजट के आधार पर प्रक्रिया फीस का निर्धारण किया जावेगा, जो कि परियोजना और प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रकार, आकार, स्थान व संवेदनशीलता पर आधारित होगा। परियोजना की लागत से संबंधित सभी प्रकार के प्रक्रियात्मक व्यय की जानकारी की सुलभता सुनिश्चित की जावेगी, जो प्रारूप-2 के भाग-क के अनुरूप होगी।

10. सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के सम्पर्क सूत्र-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, उप महाप्रबन्धक (भूविज्ञान) एवं प्रमुख भदवासी जिप्सम खदान परियोजना, नागौर (राज.), प्लॉट न.-63, एफ.सी.आई.गोदाम के पीछे, इंदिरा कॉलोनी, जिला-नागौर-341001 (राजस्थान)।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नीतू बारूपाल,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।